

**बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय**

कार्यालय आदेश संख्या.....18...../2026

सं०सं०-अ०नि० (02) 45/2026/नि०सं०

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1150(24) दिनांक 05.06.2026 द्वारा प्राप्त उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्री शिवांशु शेखर गौतम, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, हाजीपुर (वैशाली) को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 230 के अन्तर्गत स्वयं की शादी हेतु दिनांक 23.04.2026 से 09.05.2026 तक कुल 17 (सत्रह) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि० (02) 45/2026/नि०सं०.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली)/मुख्य अभियोजक, हाजीपुर (वैशाली)/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/श्री शिवांशु शेखर गौतम, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, हाजीपुर (वैशाली) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/-
उप सचिव।

ज्ञापांक अ०नि० (02) 45/2026/नि०सं०.....1688.....

दिनांक.....30/6/26.....

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/6/26
उप सचिव।

Dr. Prakash